उत्तर प्रदेश शासन,

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग,

संख्या- 42/2020/790 /86-2020-01(सा0)/2020

लखनऊ:दिनांक 01जून, 2020

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालू के सुव्यवस्थित खनन सम्बन्धी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनवरी 2020, में "Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining" गाईडलाइन्स निर्गत की गई है। उक्त गाइडलाईन्स के प्रस्तर 4.1.1(a) के अनुसार खनन क्षेत्रों की नीलामी/ई-नीलामी/खनन पट्टे की स्वीकृति/आशय पत्र निर्गत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार किया जाना है। अतः उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) अधिसूचना/आदेश जारी होने तक जनपदों से प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्रों के प्रस्तावित संशोधन/संयोजन के लम्बित प्रस्तावों तथा नये प्रस्तावों के परीक्षण हेतु एतद्वारा निम्नवत् तकनीकी समिति गठित की जाती है:-

1	मुख्य खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0	अध्यक्ष
2	संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य
3	अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
4	निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
6	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिचाई एवं जल संशाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
7	श्री मोईनुद्दीन, भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य सचिव
8	श्री शशांक शर्मा, सहायक भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य

2. उक्त गाइडलाईन्स के अन्तर्गत जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी आधार पर परीक्षण कर, समिति द्वारा संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

डा0 रोशन जैकब
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 790 (1)/86-2020-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग/प्रमुख सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।

2. अध्यक्ष राजस्व परिषद/निदेशक, पर्यावरण निदेशालय/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समिति में प्रकरण से अभिज्ञ अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर नामित करते हुये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि समिति की बैठक यथाशीघ्र आहूत की जा सके।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र सं0-1883/एम-228/2017(खनन नीति)(IV) दिनांक 20.02.2020 के सन्दर्भ में।

4. समिति के समस्त सदस्यगण (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ)।

5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।